

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधि. क्र. 33 एफ 1-35-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद्, गुनौर का गठन करती है :—

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पन्ना	गुनौर	गुनौर	1. गुनौर 2. सिली 3. पड़ेरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधि. क्र. 33 एफ 1-35-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. 33 एफ 1-35-2018-अठारह-3, दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

Notice No. 33 F 1-35-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council Gunour, namely :—

Sr. No.	District	Tehsil	Name of the Village Panchayat	Areas Included/Detail of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Panna	Gunour	Gunour	1. Gunour 2. Sili 3. Paderi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LOKESH KUMAR JANGID, Dy. Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2021-पौष 28, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2021

अधि.क्र. 04-एफ-1-35-2018-अठारह-3.- नगर परिषद गुनौर जिला पन्ना के गठन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 543, एफ-1-35-2018-18-3, दिनांक 29-09-2018 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 33, को निरस्त करते हुए म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गयी संशोधित अधिसूचना में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगर परिषद गुनौर, जिला पन्ना का गठन करती है :-

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/राजस्व ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			गुनौर	1. गुनौर 2. शाला गुनौर 3. छिगम्मा
2	पन्ना	गुनौर	सिली	1. सिली
3			पडोरी	1. पडोरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.